Section 171: Anti-profiteering measure

- (1) Any reduction in rate of tax on any supply of goods or services or the benefit of input tax credit shall be passed on to the recipient by way of commensurate reduction in prices.
- (2) The Central Government may, on recommendations of the Council, by notification, constitute an Authority, or empower an existing Authority constituted under any law for the time being in force, to examine whether input tax credits availed by any registered person or the reduction in the tax rate have actually resulted in a commensurate reduction in the price of the goods or services or both supplied by him.
- (3) The Authority referred to in sub-section (2) shall exercise such powers and discharge such functions as may be prescribed.
- ¹[(3A) Where the Authority referred to in sub-section (2) after holding examination as required under the said sub-section comes to the conclusion that any registered person has profiteered under sub-section (1), such person shall be liable to pay penalty equivalent to ten per cent. of the amount so profiteered:

Provided that no penalty shall be leviable if the profiteered amount is deposited within thirty days of the date of passing of the order by the Authority.

Explanation—For the purposes of this section, the expression "profiteered" shall mean the amount determined on account of not passing the benefit of reduction in rate of tax on supply of goods or services or both or the benefit of input tax credit to the recipient by way of commensurate reduction in the price of the goods or services or both.]

1 Sub-section 3A inserted by Finance (No. 2) Act, 2019 (No. 23 of 2019). It is made effective from 01-01-2020 by Noti. No. 01/2020–Central tax, dt. 01-01-2020.

www.cggst.com

धारा 171 : मुनाफाखोरी निरोधी उपाय

- (1) माल या सेवाओं की किसी पूर्ति पर कर की दर में किसी कमी या इनपुट कर प्रत्यय के फायदे को कीमतों में तत्समान कमी के रूप में प्राप्तिकर्ता को आगे दिया जाएगा।
- (2) केन्द्रीय सरकार, परिषद् की सिफारिश पर अधिसूचना द्वारा किसी प्राधिकरण का गठन कर सकेगी या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी विद्यमान प्राधिकारी को इस बात की परीक्षा करने के लिए सशक्त कर सकेगी कि क्या किसी रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा लिए गए इनपुट कर प्रत्यय या कर दर में किसी कमी के परिणामस्वरूप वास्तविक रूप से उसके द्वारा पूर्ति किए जाने वाले मालों या सेवाओं या दोनों की कीमतों में समरूप कमी हुई है।
- (3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्राधिकरण विहित की जाने वाली शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करेगा।
- ¹[(3क) जहां उक्त उपधारा की अपेक्षानुसार जांच करने के पश्चात् उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्राधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने उपधारा (1) के अधीन मुनाफाखोरी की है, वहां ऐसा व्यक्ति इस प्रकार मुनाफाखोरी की गई रकम के दस प्रतिशत के बराबर शास्ति का संदाय करने का दायी होगा:

परन्तु ऐसी कोई शास्ति उद्ग्रहणीय नहीं होगी यदि मुनाफाखोरी की रकम को प्राधिकरण द्वारा आदेश पारित किए जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर जमा करा दिया गया है।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिए "मुनाफाखोरी" पद से ऐसी रकम अभिप्रेत है, जिसे माल या सेवा या दोनों की पूर्ति पर कर की दर में कमी का फायदा या इनपुट कर प्रत्यय का फायदा माल या सेवा या दोनों की कीमत में कमी की अनुरुपता के माध्यम से प्राप्तिकर्ता को नहीं देने के कारण अवधारित किया गया हैं।

¹ वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2019 (2019 का 23) द्वारा उपधारा (3क) अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 1/2020—केन्द्रीय कर, दिनांक 01.01.2020 द्वारा इसको दिनांक 01.01.2020 से प्रभावशील किया गया।